भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका सं 2236/2020

(विशेष अवकाश याचिका सिविल संख्या 5650/2019से उत्पन्न)

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड और अन्य ..अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती मोहनी देवी और अन्य .. प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

<u>ए.एस. बोपन्ना,न्यायाधीश</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इसमें प्रतिवादी एस बी सिविल रिट याचिकाकर्ता संख्या 2839/2012 में याचिकाकर्ता था,जो राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। रिट याचिका दाखिल करने के लिए प्रेरित करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह है कि इसमें प्रतिवादी ने अपने दिवंगत पति के सेवानिवृत्ति लाभों का दावा किया था]जिसे अपीलकर्ता सड़क परिवहन निगम के अलवर डिपो में15-03-1979 को कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। लाभों का दावा इस आधार पर किया गया था कि उसके पति को इस्तीफा देने के बजाय स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा।

3. सेवा के दौरान प्रत्यर्थी के पति ने स्वास्थ्य कारणों को इंगित करते हुए 28-07-2005 को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन दिया था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कथित आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और प्रतिवादी का पति सेवा में बना रहा।

4. इसके बाद प्रत्यर्थी के पति ने 03-05-2006 को अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया क्योंकि उसने अवसाद में होने का दावा किया था और उसकी स्वास्थ्य स्थिति और खराब हो गई थी। अधिकारियों ने 31-05-2006 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था,उन्हें अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था और लाभों का भुगतान कर दिया गया था।

5. इसके पश्चात् प्रत्यर्थी के पति ने तुरंत यह इंगित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसने त्यागपत्र का उल्लेख करने में गलती की थी और वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपने पूर्व आवेदन को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त होना चाहता था। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 28 जुलाई 2005 को उनके पहले आवेदन पर अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और इसलिए परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ के साथ उन्हें स्वेच्छा से सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए।प्रतिवादी ने अपने पति की मृत्यु के बाद ऐसी प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

6. विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के पति ने एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें स्वास्थ्य की गिरती हुई स्थिति को इंगित किया गया था और ऐसे कर्मचारी को काम करने के लिए मजबूर करना उत्पीड़न का कार्य होगा। इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन पर पेंशन

योजना के खंड 19डी(2)के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया गया था और आरएसआरटीसी स्थायी आदेशों के खंड 18डी(2)पर निर्भरता रखी गई थी जिसके अनुसार निगम का कोई कर्मचारी जिसने पेंशन योग्य सेवा प्रदान की थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का हकदार था। इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के पति को सेवानिवृत्त माना जाएगा भले ही उसने ***शील कुमार जैन बनाम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड***2012 (1)एसएलआर 305 में अधिकथित कानून के मद्देनजर अपनी सेवानिवृत्ति को त्यागपत्र बताते हुए एक और आवेदन दिया था। इस प्रकार अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी के पति को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के रूप में मानने और सेवानिवृत्त लाभों को जारी करने का निर्देश दिया गया था जिसका वह हकदार था।

7. व्यथित होकर इसमें अपीलार्थियों द्वारा डी- बी- विशेष अपील रिट नं. 1261/2018 में एक अपील दायर की गई थी। हालांकि विद्वत एकल न्यायाधीश के तर्क में खंड पीठ द्वारा कोई कमजोरी नहीं पाई गई और विद्वत खण्ड पीठ ने अपील को खारिज कर दिया। इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा उसी को चुनौती दी गई है ।

8. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में हमने डॉ- रितु भारद्वाज अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और श्री एस.महेंद्रन को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के रूप में सुना है और अपील पत्रों का अवलोकन किया है।

9. यहां विचार करने के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या प्रतिवादी के पति ने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने का अजेय अधिकार प्राप्त कर लिया था और उस प्रकाश में क्या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायोचित था कि प्रतिवादी के पति द्वारा दिनांक 03-05-2006 को प्रस्तुत किए गए

पश्चात्वर्ती त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन के रूप में माना जाए और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधान के तहत नियोक्ता कर्मचारी के न्यायिक संबंध की समाप्ति को माना जाए।

10. उपर्युक्त पहलू पर विचार करने के लिए वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स का एक अवलोकन यह संकेत देगा कि प्रत्यर्थी का पति 15 मार्च 1979 को अलवर डिपो में अपीलकर्ता परिवहन निगम की सेवा में शामिल हुआ था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला आवेदन 28-07-2005 को प्रस्तुत किया गया था जिस अवधि तक प्रतिवादी के पति ने निःसंदेह 25 वर्ष से अधिक की सेवा की थी। जहां तक सेवा की पूरी अवधि को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की पात्रता का संबंध है प्रत्यर्थी के पति ने ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था। हालांकि अपीलकर्ता परिवहन निगम ने आवेदन प्रतिग्रहण करना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करना उचित नहीं समझा। उस परिस्थिति में प्रतिवादी के पति ने अपना इस्तीफा 03-05-2006 को प्रस्तुत किया जिसे अपीलकर्ता परिवहन निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 31-05-2006 को उसे पदमुक्त कर दिया गया। प्रतिवादी का प्रतिवाद है कि उसके तुरंत बाद यह इंगित करते हुए एक आवेदन किया गया था कि त्यागपत्र शब्द का उल्लेख अनजाने में किया गया था और प्रतिवादी के पति का इरादा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपने अनुरोध को नवीनीकृत करना था। हालांकि अपीलकर्ता परिवहन निगम द्वारा इस तरह के बाद के आवेदन पर विचार नहीं किया गया और जैसा कि संकेत दिया गया है प्रत्यर्थी के पति को 31-05-2006 को राहत दी गई थी और सेवा से इस्तीफा देने वाले एक कर्मचारी के संबंध में देय सभी सेवा लाभों का भुगतान किया गया था जिसे प्रत्यर्थी के पति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। निर्विवाद

स्थिति यह भी है कि प्रत्यर्थी के पति की बाद में 14-04-2011 को मृत्यु हो गई।पति की मृत्यु के बाद प्रतिवादी ने एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2839/2012 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के मामले पर विचार करते समय केवल उन मामलों के तथ्यों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति का संज्ञान लिया जिन्हें संदर्भित किया गया था और नियमों के खंड 19डी (2)के संदर्भ में केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया माना गया था और इसलिए अपीलार्थियों को निर्देश दे दिया कि वे प्रतिवादी के पति को उस तारीख को सेवा से सेवानिवृत्त मान लें जिस तारीख को उसे पदमुक्त किया गया था और सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करें। खण्ड पीठ ने इस स्थिति को दोहराया है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् हम पाते हैं कि तथ्यात्मक पहलू जो तत्काल मामले में निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक थे उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश के दौरान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं बल्कि केवल यह मान लिया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए जब कोई अस्वीकृति नहीं थी। जैसा कि यहां प्रतिवादी द्वारा अपने आप में दायर आपत्ति बयान से देखा गया है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अधिकार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 में निर्धारित किया गया है। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है क्योंकि यह 20 साल की अर्हक सेवा का प्रावधान करता है प्रत्यर्थी के पति ने आवेदन करने के लिए अर्हता प्राप्त की थी। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके उपनियम (2)में यह प्रावधान है कि कर्मचारी द्वारा दी गई

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान मामले में निर्विवाद स्थिति यह है कि कोई स्वीकृति नहीं थी और उस स्थिति में प्रतिवादी के पति ने 03-05-2006 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने स्वीकृति को इंगित किया है यह तात्कालिक तथ्यों में न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि जिस स्थिति पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है वह यह है कि उस तारीख को जब प्रतिवादी के पति ने 28-07-2005 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था प्रतिवादी के पति को पहले से ही 16-12-2004 दिनांकित 7352 वाली आरोप-पत्र जारी कर दिया गया था और अवचार का आरोप लगाते हुए 11-07-2005 दिनांकित संख्या 4118 दर्ज की गई थी। यद्यपि प्रतिवादी आपत्ति विवरण कथन से यह प्रतिवाद करना चाहता है कि उसके पति के विरुद्ध अभिकथित आरोप न्यायोचित नहीं था। मामले का वह पहलू वर्तमान विचारण के लिए आवश्यक नहीं होगा क्योंकि विधि की स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियां यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो स्वीकृति की मांग करने का कोई आत्यन्तिक अधिकार नहीं होगा क्योंकि यदि नियोक्ता जांच की कार्यवाही के लिए उत्सुक है तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन पर विचार नहीं करने का हकदार होगा। इसलिए प्रतिग्रहण करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। तत्काल तथ्यों में आरोप पत्र से संबंधित कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया और 03 सितंबर 2005 के अंतिम आदेश द्वारा पूरा किया गया। वृद्धि रोके रखने की सजा दी गई। ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन पर विचार न करना उचित होगा।

12.जैसा कि उल्लेख किया गया है,जांच पूरी हो गई थी और उसके बाद जब प्रत्यर्थी के पति ने 03-05-2006 को इस्तीफा प्रस्तुत किया तो उसे संसाधित किया गया,स्वीकार कर लिया गया उसे 31-05-2006 को राहत दी गई और टर्मिनल लाभों का भुगतान किया गया जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। 14 अप्रैल 2011 तक अपने जीवनकाल के दौरान पति ने इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया। इसके बाद ही प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है। मुख्य रूप से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन 28-07-2005 को दायर किया गया था और नियोक्ता द्वारा 3 मई 2006 को इस्तीफा प्रस्तुत करने के बजाय उस पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया था। यदि कोई कानूनी अधिकार उपलब्ध था तो उचित प्रक्रिया के तहत उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करके आवेदन को स्वीकार करने की मांग की जानी चाहिए थी। इसके बजाय प्रत्यर्थी के पति ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन की अस्वीकृति की स्थिति को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया था।इस्तीफा स्वीकार करने के बाद टर्मिनल लाभ प्राप्त भी किए गए। यदि यह स्थिति है जब वर्ष 2012 में देर से रिट याचिका दायर की गई थी और वह भी उस कर्मचारी की मृत्यु के बाद जिसने अपने जीवन काल के दौरान कोई शिकायत नहीं की थी तो प्रतिवादी द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार करना उचित नहीं था। इसलिए उच्च न्यायालय ने समवर्ती आदेश पारित करने में गलती की है।

13.प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि भले ही यह त्यागपत्र का मामला हो प्रतिवादी का मृत पति उपदान के भुगतान का हकदार था जैसा कि उसने अर्हक सेवा में रखा था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि उपदान राशि का भुगतान कर दिया

गया था। इस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई रिट अपील के पैरा 9 के प्रति किए गए निर्देश से हालांकि यह संकेत मिलेगा कि यद्यपि इस्तीफा स्वीकार करते समय प्रत्यर्थी के पति को संवितरित किए गए भुगतान के प्रति निर्देश किया गया है लेकिन इससे यह प्रकट नहीं होता है कि उपदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील में अपीलार्थियों ने उपदान का भुगतान न करने को उचित ठहराने की मांग की है क्योंकि प्रतिवादी के पति ने सेवा से इस्तीफा दे दिया था जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से इंगित किया गया है। उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 की खंड 4(1)(ख) में यह प्रावधान है कि उपदान देय होगा यदि रोजगार की समाप्ति 5 साल की निरंतर सेवा के बाद होती है और ऐसी समाप्ति में इस्तीफ़ा भी शामिल होगा। उस दृष्टिकोण में यदि ग्रेच्युटी राशि का भुगतान प्रतिवादी के पति को नहीं किया गया है तो इसका भुगतान करने का दायित्व बना रहेगा और प्रतिवादी नं. 1 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसे प्राप्त करने का हकदार होगा। इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता तदनुसार ग्रेच्युटी की गणना करेंगे और यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है तो प्रतिवादी नं. 1 को इसका भुगतान करेंगे। इस तरह का भुगतान इस तारीख से चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

14. परिणाम के रूप में अपील की अनुमति दी जाती है। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2839/2012में दिनांक 01-11-2017 के आदेश को बरकरार रखते हुए डी. बी. विशेष अपील (डब्ल्यू)संख्या 1261/2018 में दिनांक 19-11-2018 को पारित निर्णय को दरकिनार किया जाता है। उपरोक्त निर्देश के अनुसार ग्रेच्युटी राशि का भुगतान

इस तारीख से चार सप्ताह के भीतर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को किया जाएगा।

15.लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया तद्नुसार जाता है।

न्यायाधीश(आर.भानुमति)

न्यायाधीश (ए. एस. बोपन्ना)

नई दिल्ली 15 अप्रैल 2020

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.